राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:पं0 34(5)चिस्वा/2/2018 जयपुर,दिनांक 27.04.18

निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर।

विषयः–माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 83 एवं 304 की कियान्विति हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 83 की कियान्विति में शेष 05 उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः सतखन्डा (निम्बाहेडा) चित्तौडगढ, पुनसीसर (चुरू) चुरू, बीजबायला (पदमपुर) गंगानगर, बडोडगांव (जैसलमेर) जैसलमेर, कठार (बडगांव) उदयपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा बजट घोषणा संख्या 304 में 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र नीमोद (मौलासर) नागौर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है तथा उक्त के कम में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नार्म्स अनुसार 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निम्नानुसार 60 नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति **संलग्न बजट मद अनुसार** अंग्रांकित अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के अध्ययधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	पदनाम	नार्म्स अनुसार पदों की संख्या	वर्तमान 06 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत स्वीकृत पद	06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त पद
1.	चिकित्साधिकारी	01	00	01
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	02	00	02
3.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	01	00	01
4.	महिला स्वास्थ्य कार्यकत्ता	01	01	00
5.	फार्मासिस्ट	01	00	01
6.	लैब टैक्नीशियन	01	00	01
7.	*मशीन विद् मैन	01	00	01
8.	**वार्ड ब्वॉय	02	00	02 (06x02=12 पद अलग से सृजित नहीं माने जावेंगे)
9.	***सफाई कर्मचारी	01	00	01
10	योग प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11x06	01x06	10x06
11.	06 PHC हेतु कुल पद	66	06	60(48+12)

* 01 मशीन विद् मैन की सेवाऐं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं नियत राशि पर प्राप्त की जावे।

** पूर्व में स्वीकृत एकमुश्त वार्ड ब्वॉय के पदों से इन पदों को समायोजित किया जावे अर्थात् उक्त पद अलग से सृजित नहीं माने जावे।

*** 01 सफाई कर्मचारी का कार्य Outsourcing के माध्यम से जोब बेसिस पर RTPP Act/ Rules के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए कराया जावे।

–उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावे, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावें।

–जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान व प्रकियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करे।

–व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

– स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

उक्त पदों पर होने वाले व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंधित राज्य निधि बजट मद में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया है फलस्वरूप राशि का व्यय संबंधित राज्य निधि मद में के बजट मदों से किये जाने हेतु स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101801664 दिनांक 30.03.2018 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के आई. डी. कमांक F18001319 दिनांक 20.04.18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

सलंग्न :–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमांकः–योजना/विकास/बजट घोषणा पीएचसी/2018–19/538 दिनांकः–15/5/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र से कमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सृजित अतिरिक्त पदों को सलग्न सूची अनुसार बजट मदो के आई0एफ0एम0एस0 में अपलोड करवाने का श्रम करावे।
3. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन अजमेर/उदयपुर/ बीकानेर/जोधपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ, रतनगढ (चूरू), श्रीगंगानगर, जैसलमेर उदयपुर एव नागौर
6. नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई/एमएनजेवाई), मुख्यालय।
7. उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सांख्यिकी अधिकारी, योजना अनुभाग मुख्यालय।
8. प्रभारी निर्माण प्रकोष्ठ, योजना अनुभाग मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित की ई–मेल आई0डी0 पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सलग्न सूची

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 83 एवं 304 के अन्तर्गत खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट मद विवरण

स्थान	पंचायत समिति	जिला	बजट मद
1–सतखण्डा	निम्बाहेड़ा	चित्तोड़गढ़	2210-03-197-01-01 PHC(SF)
2–पुनसीसर	चुरू	चुरू	2210-03-197-03-01 PHC SCSP(SF)
3–बीजवायला	पदमपुर	श्री गंगानगर	2210-03-197-03-01 PHC SCSP(SF)
4–बडोडगाँव	जैसलमेर	जैसलमेर	2210-03-197-01-01 PHC(SF)
5–कठार	बड़गाँव	उदयपुर	2210-01-197-02-01PHC TAD(SF)
6–नीमोद	मोलासर	नागौर	2210-03-197-01-01 PHC(SF)

वरिष्ठ लेखाधिकारी